



सोनभद्र पुलिस



प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 16.10.2026

- "ऑपरेशन शुद्धि" के तहत थाना करमा पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई।
- अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह से जुड़े 03 अभियुक्त गिरफ्तार।
- दो वाहनों से कुल 118 किलो 670 ग्राम अवैध गांजा बरामद (अनुमानित कीमत लगभग ₹60 लाख)।
- गांजा तस्करी में प्रयुक्त XUV-500 एवं ब्रेजा कार, 05 मोबाइल फोन तथा ₹8,280 नकद बरामद (अनुमानित कीमत लगभग ₹35 लाख)।
- ओडिशा से मीरजापुर तक गांजा पहुंचाने की थी योजना।

(कुल बरामदगी की अनुमानित कीमत लगभग ₹95 लाख)

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में "ऑपरेशन शुद्धि" के तहत मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन श्री ऋषभ रुणवाल के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी घोरावल श्री राजेश कुमार राय के नेतृत्व में थाना करमा पुलिस एवं एसओजी टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 15.10.2026 को संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध वाहनों से कुल 118 किलो 670 ग्राम अवैध गांजा बरामद करते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण एवं की गई कार्यवाही—

दिनांक 15.10.2026 को प्रभारी निरीक्षक थाना करमा श्री कमलेश पाल पुलिस टीम एवं एसओजी प्रभारी निरीक्षक श्री राम स्वरूप वर्मा के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीम के साथ संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग हेतु ग्राम करनवाह जाने वाले तिराहे पर मौजूद थे। इसी दौरान हिन्दुआरी की ओर से आ रही दो संदिग्ध कारें पुलिस को देखकर तिराहे से लगभग 50 मीटर पहले ही मुड़कर वापस जाने का प्रयास करने लगीं। संदेह होने पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर दोनों वाहनों को समय करीब 23:15 बजे रोक लिया गया।

वाहनों में सवार तीन व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ एवं तलाशी की गई। तलाशी के दौरान महिन्द्रा XUV-500 वाहन के पिछले हिस्से में स्टेपनी के नीचे तथा मारुति सुजुकी ब्रेजा वाहन के पिछले एवं बीच वाले हिस्से में रखे टेप से लिपटे छोटे-छोटे पैकेट बरामद हुए। पैकेटों की जांच करने पर उनमें कुल 118 किलो 670 ग्राम मादक पदार्थ गांजा कुल ₹8,280 नकद एवं 05 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुए। दोनों वाहनों को धारा 60 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कब्जे में लिया गया।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना करमा पर मु0अ0सं0 199/2026 धारा 8/20/27A/29/60 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण—

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वे जनपद सुंदरगढ़, ओडिशा निवासी एक व्यक्ति के कहने पर गांजा लेकर मीरजापुर में बताए गए व्यक्तियों को सौंपने जा रहे थे। अभियुक्तों के अनुसार, गांजा एवं वाहनों की व्यवस्था उसी व्यक्ति द्वारा की गई थी तथा गांजा पहुंचाने के बदले प्रत्येक व्यक्ति को **₹15,000-₹15000** देने का आश्वासन दिया गया था।

अभियुक्तों ने यह भी बताया कि पूर्व में भी उनके द्वारा गांजा पहुंचाया गया था तथा इस बार रास्ते के खर्च के लिए कुछ धनराशि दी गई थी। पुलिस चेकिंग की आशंका के कारण वे अपने वाहनों को वापस मोड़कर चोपन की ओर चले गए थे तथा बाद में पुनः मीरजापुर जाने के दौरान पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए।

पूछताछ में गांजा तस्करी में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका, मादक पदार्थ की आपूर्ति के स्रोत, संभावित खरीदारों तथा अन्तर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क के संबंध में गहनता से जांच की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. विश्वजीत बारिक उर्फ कानू पुत्र महेन्द्र कुमार बारिक, निवासी ग्राम पुराना जोल्डा, ए ब्लॉक, थाना जोल्डा, जनपद सुंदरगढ़, ओडिशा, उम्र करीब 29 वर्ष।
2. रविन्द्र नाथक पुत्र माला नाथक, निवासी सेक्टर-01, गंजू बस्ती, थाना सेक्टर-03, जनपद सुंदरगढ़, ओडिशा, उम्र करीब 47 वर्ष।
3. मोहम्मद दानिश आलम पुत्र मोहम्मद शमीम अहमद, निवासी रेलवे कॉलोनी, राउरकेला, थाना प्लांट साइट, जनपद सुंदरगढ़, ओडिशा, उम्र करीब 29 वर्ष।

बरामदगी का विवरण—

* 118 किलो 670 ग्राम अवैध गांजा (अनुमानित कीमत लगभग **₹60 लाख**)।

* महिन्द्रा XUV-500 कार।

* मारुति सुजुकी ब्रेजा कार।

* 05 एंड्रॉयड मोबाइल फोन।

* ₹8,280 नकद।

(बरामदगी की कुल अनुमानित कीमत लगभग **₹95 लाख**)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. श्री कमलेश पाल, प्रभारी निरीक्षक, थाना करमा जनपद सोनभद्र।
2. श्री राम स्वरूप वर्मा, प्रभारी निरीक्षक, एसओजी जनपद सोनभद्र।
3. उ0नि0 श्री मनोज सिंह थाना करमा जनपद सोनभद्र।
4. हे0का0 विवेक गिरी, हे0का0 संदीप सिंह, का0 रविकांत यादव थाना करमा जनपद सोनभद्र।
5. हे0का0 राजेश यादव, का0 रितेश पटेल, का0 सत्यम पाण्डेय, का0 अजीत कुमार, का0 जय प्रकाश सरोज एसओजी टीम जनपद सोनभद्र।